न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आर्म्स अपील वाद संख्या– **01/2015**

लक्ष्मेश्वर झा बनाम राज्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत शस्त्र अपील अपीलार्थी लक्ष्मेश्वर झा द्वारा रिवॉल्वर/पिस्टल की नई अनुज्ञप्ति अपीलार्थी के नाम निर्गत करने संबंधी CWJC संख्या– 2876/2015 में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में दाखिल किया गया है।

आवेदक को रिवॉल्वर/पिस्टल की नई अनुज्ञप्ति प्रदान करने की अस्वीकृति 30.09.2013 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा की जा चुकी है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा 30.09.2013 को पारित आदेश को आयुक्त न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा शस्त्र अपील वाद 495/2013 में अद्योहस्ताक्षरी के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील को खारीज कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने मान्नीय उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल किया। अपीलार्थी द्वारा दायर CWJC संख्या– 2876/2015 में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक– 14.09.2015 निम्न प्रकार है।

"As a result, this writ application succeeds. The impugned order contained in Annexure-2 and 3 re quashed and set aside. The matter is remitted back to the licensing authority to take a fresh decision in accordance with law within a period of ten weeks from the date of receipt/production of copy of this order."

आवेदक का कहना है आवेदक ग्राम+थाना– वनगॉव, जिला– सहरसा के वसिन्दा है तथा अपनी जान–माल की सुरक्षा के लिए एक रिवाल्वर/पीस्टल के लिए 21.08.2008 को आवेदन दिया था, जिसकी विभिन्न स्रोतों से जॉच कराकर पुलिस अधीक्षक, सहरसा द्वारा 25.08.2011 को आवेदक का नाम अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा तत्कालीन जिला दंडाधिकारी के पास भेजी गयी। इन अनुशंसाओं की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न है। सक्षम पदाधिकारियों की अनुशंसा के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति नहीं देने पर आवेदक ने 30.01.12 को पुनः एक अभ्यावेदन दिया। फिर जब आवेदक के आवेदन को लम्बी अवधि तक लंबित रखने के कारण 03.05.12 के अभ्यावेदन समर्पित किया गया और अन्ततः मान्नीय उच्च न्यायालय में CWJC संख्या– 11084/2012 दाखिल किया गया, जिसमें 12.04.13 को मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर मामले का निष्पादन का निदेश जिला दंडाधिकारी को दिया गया। मान्नीय उच्च न्यायालय से प्राप्त निदेश पर ज्ञापांक 1650–2 दिनांक 30.09.2013 द्वारा यह कहकर कि पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को पूव ही एक शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान की जा चुकी है। जिला दंडाधिकारी

द्वारा आवेदक के आवेदन को खारीज कर दिया गया। जिला दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में शस्त्र अपील 495/13 दाखिल किया गया, जिसे उन्होंने खारीज कर दिया। फलतः आवेदक को मान्नीय उच्च न्यायालय में CWJC संख्या–2876/2015 दाखील करना पड़ा, जिसका 14.09.2015 को निष्पादन हुआ जिसमें अनुज्ञापन पदाधिकारी तथा अपीलीय पदाधिकारी के पारित आदेश को निरस्त कर कहा गया कि–

"The Licensing authority has stated that there is no threat perception upon the petitioner, whereas, it is also stated that since he is holding one licence of double barrel gun, there is no need for grant of other licence, which is contrary to the provisions of law. Section 2 of the Arms Act lays down that no person shall acquire of have in his possession or carry, at any time, more than three firearms, it is not stated as to under what circumstances such benefit cannot be granted to the petitioner. So far the threat perception is concerned, if that was lacking then the authority would have to answer as to under what circumstances licence of DBBL gun was granted?."

अग्रतर आवेदक का कहना है कि मान्नीय उच्च न्यायालय के पारित ओदश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर आवेदक मान्नीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन में अनुज्ञप्ति हेु आवेदन किया है। आवेदक एक कृषक है तथा मत्स्य का भी व्यापार करते है, जिसके लिए उन्हें कई जगह जाना पड़ता है और इन दिनों दो नाली बन्दूक की अपराधियों द्वारा छीना–झपटी की शिकायत होती रहती है, ऐसी स्थिति में रिवाल्वर/पिस्टल जो एक छोटा शस्त्र होता है को जेब में छुपाकर रखा जा सकता है एवं आवश्यकतानुसार जान–माल की सुरक्षा के लिए व्यवहार किया जा सकता है। अन्ततः आवेदक ने इनके नाम रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति प्रदान करने की याचना की है।

आवेदन के विद्धान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। उल्लिखित तथ्यों के आलोक में आवेदक में आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक के नाम एक रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
10.2.15
जिला दंडाधिकारी,
सहरसा।

10.2.15
जिला दंडाधिकारी,
सहरसा।

Com- Ajeet

D:\Office File\All File\Collector Order\2017\Lakshmeshwar_Jha 01-15.docx